SHRI KAMAL NATH: I have got the book here with me, and I have got a photostat copy of that page; I can lay* it on the Table of the House.

MR. SPEAKER: It seems, he is a very knowledgeable person!

SHRI KAMAL NATH: He has taken the border right down to Allahabad. The Members from Allahabad must sit in a different House!

I am convinced that the hon. Members will agree with me that this is shameful callousness on the part of a man who once held the most powerful chair in the world. Richard Nixon apparently got so carried away by his blind 'tilt' towards Pakistan that he pushed the Indo-Pakistan boundary as far as Allahabad.

Such ignorance of a former President of the world's richest nation is an indication of Nixon's level of knowledge of our subcontinent and the general accuracy of his book. In the same chapter, Nixon sneers at Mrs Gandhi for being a "dictator". ... (*Interruptions*) Do you agree?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): I do not agree with the material fact but with his assessment I agree.

SHRI KAMAL NATH: This is Satan swearing by the Bible, because Nixon's lasting concern for democracy is immortalised in the records of the Watergate trials.

Sir, Nixon is not an ordinary private citizen but is still a pillar of the Republican Party which is in power at present. The book presumably has official sanction and backing. Through you, I am requesting the House to demand an unconditional apology from the US State Department for such delirious and absurd utterances from one of its former masters.

(ii) Pakistani citizens over-staying in Rajasthan.

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : (चित्तौड़गढ़) : राजस्थान की 644 मील लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान से चोरी छिप नागरिक तो राजस्थान में आते ही हैं पर प्रति वर्ष बैद्ध पासपोर्ट लेकर भी औसतन 400 पाक नागरिक प्रवेश करते हैं पर उनकी अवधि खत्म हो जान के बाद भी वापस न जाकर छिपे रहते हैं। यह एक गंभीर प्रश्न है कि : —

1977	में	363
1978	में	450
1979	में	751
1980	में	958
1981	में	1000

नागरिक पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर भी नहीं गये, तथा पाकिस्तानी नागरिकों ने अपना नाम मदतादा सूची में लिखाना शुरू कर दिया है। यह एक गंभीर प्रश्न है। अतः सरकार कार्यवाही करके ऐसे नागरिकों को ढूंढ निकाले तथा आवश्यक कार्यवाही के साथ उन्हें पाकिस्तान जाने को मजबूर करे।

(iii) Proper distribution of loans to poor people of Maharashtra under Integrated Rural Development Programme.

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : केन्द्र सरकार की ग्रामीण विकास योजना (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the paper was not treated as laid on the Table.

[श्री केशवराव पारधी]

माननीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार दस हजार से कम लोक संख्या के गांवों में रहने वाले दरिद्र रेखा के नीच के किसान मजदूर हरिजन, गिरीजन (शडयूल्ड कास्ट शड्यूल्ड ट्राइब्स) लोगों को उनकी खेती की उन्नति के लिए गाय-भैंस खरीदने के लिए या धन्धे के लिए पांच हजार रुपये तक की रकम राष्ट्रीयकृत बैंकों से बिना जमानत के पंचायत समिति की सिफारिश पर देने को कहा गया था लेकिन देख में यह आया है कि किसान, मजदूर, हरिजन और गिरीजन जो कि दरिद्र की रेखा के नीचे होते हुए भी जो गांव वार सूची तैयार हुई है उनमें बहुत से लोगों के नाम ही नहीं हैं जिनक नामने हैं वह भी कोई सभी पंचायत समिति या बैंक जाते नहीं, लेकिन जो थोड़ लोग जाते हैं और आई० आर० डी० पी० योजना के अन्तर्गत मदद चाहते हैं पंचायत समिति की ओर से सिफारिश रहने के बावजूद एसे लोगों को बैंकों में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। गांव के रहन वाला सीधा-सादा आदमी पहले ही कोई कायदा कानून नहीं जानता । वास्ते केन्द्र शासन से और माननीय वित्त मंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि एसे गरीब लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, एसे उपाय व योजना की जानी चाहिये क्योंकि मेरे विभाग से (भण्डारा जिले से एसी कई शिकायतें मेरे पास आई हैं) मैंने भी जिले में जब दौरा किया तब यह बात ग्रामीण विभाग व पंचायत समिति में बतायी गई है।

(iv) Need to open Polling Stations at every Gam Sabha to help the voters during elections.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : इस समय उत्तर प्रदेश में संसदीय एवं विधान सभाई निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों के पुनर्निरीक्षण एवं निर्धारण का कार्य चल रहा है। मतदान केन्द्रों की स्थापना बहुत पहले हुई थी और समय समय पर केन्द्रों का घटाव, बढ़ाव तथा स्थानान्तरण होता रहा है। मतदान केन्द्र के निर्धारण में स्थानीय प्रभावकारी लोग तथा शासक दल की अहम भूमिका रहती है, जिन्होंन अपनी सुविधा एवं स्वार्थ को सदैव वरीयता दी है। परिणामस्वरूप समाज के सामान्य नागरिक, निर्बल वर्ग के लोग बड़ी संख्या में असुविधाओं के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित होते रहे हैं। समाज के प्रभावकारी लोग अपने सुविधाजनक केन्द्रों पर अवैध कब्जा करके तथा बिर्ल वर्ग के लोगों को विशेषकर महिलाओं को मतदान से वंचित करके उनका मत अपन पक्ष में डाल दते हैं। इसके अतिरिक्त दूर के केन्द्रों के लिए प्रत्याशियों द्वारा अवैध तरीके से साधनों का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त खामियों एवं नियमिताओं के निराकरण के लिए यह नितान्त आवयक है कि प्रत्येक गांव सभा के लिए उसी गांव में मतदान केन्द्र की व्यवस्था की जाय। यह नीति के आधार पर स्वीकार कर लिया जाना चाहिय। इस प्रकार की अव्यवस्था विशेषकर गांवों में पाई जाती है। अतएव प्रत्येक गांव सभा में मतदान केन्द्र हो जाने से मतदान का प्रतिशत बढ़ जायगा, मतदान केन्द्रों पर अवैध कब्जों की सम्भावना कम हो जायगी तथा प्रत्याशियों द्वारा अवैधानिक तरीके से मतदाताओं के लिए सावारियों की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार चुनाव व्यय में कमी होगी।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से साग्रह निवेदन करूंगा कि वे इसके क्रियान्वयन में सहायता करें, जिससे सुदूर ग्रामीण